न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—260 / 2015 / 223 (2015 / 00211)

1. रामा पत्नी रूगनाथ (फौत)
2. महीपाल पुत्र रूगनाथ,
3. हेमराज पुत्र रूगनाथ,
   समस्त जाति जाट, नि0 खुडियाल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. रामफूल पुत्री रूगनाथ पत्नी आनन्दीलाल, जाति जाट, निवासी नासनोता, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
5. हरफूल पुत्री रूगनाथ पत्नी बद्रीनारायण, जाति जाट, नि0 बोला की ढाणी बासडा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
6. मनफूल पुत्री रूगनाथ पत्नी नन्दाराम, जाति जाट, नि0 नासनोता, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
7. किरण पुत्री रूगनाथ पत्नी जगदीश, जाति जाट, नि0 नासनोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
8. रसना पुत्री रूगनाथ पत्नी रूपाराम, जाति जाट, निवासी बागोत, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
9. रामप्यारी पुत्री रामनारायण, पत्नी कानाराम, जाति जाट, नि0 गाढोता, तह. मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामनाथ पुत्र स्व0 रामू,
2. हरिराम पुत्र स्व0 रामकरण,
3. रूपनारायण पुत्र स्व0 रामकरण,
4. रामकुंवार पुत्र स्व0 रामकरण,
5. रामदयाल पुत्र स्व0 रामकरण,
6. रामेश्वर पुत्र स्व0 रामरख,
7. रामस्वरूप पुत्र स्व0 रामरख,
8. द्वारका पुत्र स्व0 रामरख,
9. कैलाश पुत्र स्व0 रामरख,
10. हरिनारायण पुत्र स्व0 नंदा,
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खुडियाल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
11. श्रीमती श्याणी पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी जगदीश, जाति जाट, निवासी बधाला की ढाणी, महंला, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
12. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
13. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा दूदू, जिला जयपुर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू दिनांक 17.12.2014 अंतर्गत वाद संख्या 13 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री उदयसिंह चौधरी, वकील रेस्पो0 सं0 1 से 10.
3. श्री अशोक दायमा, वकील रेस्पो0 संख्या 11.
4. रेस्पो0 संख्या 13 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 12.

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत 88, 188 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 राज0भू—राजव अधि0 1956 के तहत पेश कर वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमियां होना दर्शाते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेंटस ने अपीलांटस के पिता रूगनाथ के नाम दर्ज आराजी एवं रूगनाथ की माता मन्नीदेवी के नाम आराजी में सभी वादीगण अपना हिस्सा अलग—अलग खातो में दर्शाते हुए अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना की । वादपत्र में उन्होंने एक सजरा भी दर्शाया जिसके अनुसार अपीलांटस व रेस्पोडेंटस को एक ही परिवार का दर्शाया गया है एवं अधी0न्याया0 से निवेदन किया कि अन्य आराजियात तो अपने हस्से अनुसार दर्ज है किन्तु विवादित आराजियात कम या ज्यादा लगी हुई है जिसे प्रतिवादीगण की नियत में फितूर उत्पन्न होने लग गया है इसलिये प्रतिवादीगण ने आराजियात नाम लगाने से इंकार कर दिया है । इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2014 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 से 10 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज रूगनाथ व अपीलांट संख्या 9 व रेस्पो0 संख्या 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में जाने का जो आदेश दिया है वह विधिसंगत नहीं है । विधिनुसार प्रथम बार तामील जारी होने पर यदि पक्षकार को स्वंय को प्राप्त होती है तो ही सम्यक तामील मानी जा सकती है । तामील कुनिन्दा को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वंय मकान पर चस्पा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे । चस्पानगी का आदेश केवल न्यायालय द्वारा ही केवल ऐसी परिस्थितियों में में जब पक्षकार तामील से बचने का प्रयास कर रहा हो तो किया जा सकता है। प्रश्नगत पक्ररण में प्रथम बार जारी तामील में स्वंय तामील कुनिन्दा ने अपनी इच्छा से सम्मन चस्पा कर दिये । वास्तव में न तो तामील कनिन्नदा कभी गया, न ही कोई सम्मन चस्पा किये गये एवं यदि चस्पानगी से तामील होती है तो आदेश 5 नियम 17 की पालना में

तामील कुनिन्दा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है । ऐसा नहीं किया गया परन्तु फिर भी अधी0न्याया0 ने पर्याप्त तामील मानकर अधी0न्याया0 ने गंभीर त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 5 का जवाबदावा प्रस्तुत हुआ था तो अधी0न्याया0 का यह दायित्व था कि वह तनकीयात बनाकर वाद का निस्तारण करते परन्तु दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के खतौनी संख्या 157 के आराजी खसरा नंबर 388, 501/4365, 502, 1452, 1456, 1457, 1458,1481, 1454, 1637, 1646, 4019 कुल किता 13 कुल रकबा 12.20 है0 बाबत् भी वाद प्रस्तुत हुआ है और उक्त संपूर्ण आराजी वाद दायरी की दिनांक को मन्नादेवी के नाम दर्ज थी में से खसरा संख्या 1348 व 1646 का हरिनारायण को तथा खसरा नंबर 1554 में 1/3 हिस्से का रामनाथ को खातेदार घोषित किया गया है उक्त आराजी के साबिक खसरा नंबर 189, 254/1, 2545, 256, 567/1, 1281, 1282, 12279, 1280, 588/2, 591, 138/1 रहे है जो राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आते वक्त दिनांक 15.10.1955 को खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2029 के खतौनी संख्या 84 का भाग रही है जो उस वक्त रामनाथ पुत्र रामू, रामकरण पुत्र रामसुख व रामनारायण पुत्र नृसिंह के नाम दर्ज थी और रामनाथ स्वंय वादी है । रामनारायण पुत्र नृसिंह की विरासत से मन्नादेवी के नाम उसका हिस्सा दर्ज हुआ । उक्त खतौनी का कुल रकबा 130 बीघ्झा 17 बिस्वा था जिसका विधिवत् विभाजन खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से करवाया गया है जिस पर स्वंय वादी रामनाथ के हस्ताक्षर है तथा हरिनारायण के पिता रामकरण के भी हस्ताक्षर है तथा जिसका नामांतकरण संख्या 364 दिनांक 15.10.1977 को तस्दीक हुआ है। उक्त विभाजन में मन्नादेवी को जो हिस्सा प्राप्त हुआ केवल उसी भूमि के लिये वाद पेश हुआ जहै जो भूमि रामकरण व रामनाथ को मिली है उसके संदर्भ में कोई वाद नहीं है । विभाजन दिनांक 15.10.1977 से रामनाथ्ज्ञ व हरिनाराण वगै0 जो रामकरण के वारिसान है विबंधित है व उस विभाजन में स्वंय को मिली भूमि को प्राप्त करने के बाद मन्नादेवी को प्राप्त भूमि में उनका कोई अधिकार नही है । वादीगण उपरोक्त तथ्यों छिपाकर वाद डिक्री करवाया है । वाद में सम्मिलित आराजी संवत् 2067 से 2.70 के खतौनी संख्या 246 में आराजी खसरा नंबर 1922, 1923, 1926, 1927, 1946 कुल किता 5 कुल रकबा 0.52 है0 जो राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा रघुनाथ का दर्ज था तथा खतोनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2029 में भी उक्त आराजी के साबिक खसरा नंबर 774, 775, 752, 754 में रघुनाथ का 1/4 हिस्सा दर्ज था सभी पक्षकारान का हिस्सा खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 स 2029 के अनुरूप ही दर्ज था में से रघुनाथ का संपूर्ण हिस्सा ही निर्णय व डिक्री से समाप्त कर दिया गया जो विधिविरूद्ध है । बहस में यह भी कथन किया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सहकाश्तकार का हिस्सा समाप्त नहीं किया जा सकता है । खतौनी संख्या 247 के खसरा नंबर 1950, 2025 जिसके साबिक खसरा नंबर 758, 181 रहे है में अपीलांटस के पिता रघुनाथ के नाम खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2029 में भी 1/8 हिस्सा दर्ज था व 1/8 हिस्सा ही दावे के दिन था । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का संपूर्ण हिस्सा ही समाप्त कर दिया जो विधिविरूद्ध है ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश है जिसमें न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई सुसंगत आधार नहीं बताये गये है इसलिये निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष न तो संवत् 2012 की खतौनी, न ही पर्चा सेटलमेंट संवत 2011 ही प्रस्तुत हुआ इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात को पैतृक आराजियात मानने में

गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपना निर्णय केवल इस निष्कर्ष पर आधारित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं हुए है न उनकी ओर से आपत्ति प्रस्तुत हुई है एवं मौखिक बयानों के आधार पर वाद डिक्री किया है इसलिये प्रश्नगत निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित आराजियात को पैतृक मानने का क्या आधार है । वास्तविक तथ्य यह है कि आराजियात में से बहुत सी आराजियात अपीलांट की दादी मन्नी देवी की क्रयशुदा आराजियात है। अधी0न्याया0 द्वारा इसे भी सेटलमेंट संवत् 2011 में से संयुक्त परिवार में रहते हुए पर्चा कम या ज्यादा आ जाने का आधार माना है जो कतई विधिसंगत नही है। खाता संख्या 325, 351, 209 व 244 सहखातेदारी की आराजियात है, सहखातेदारी की आराजियात में अन्य सहखातेदारान को एक अन्य सहखातेदार की संपूर्ण आराजियात का ही खातेदार घोषित कर अधी0न्याया0 ने गंभीर त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2016 पेज 600, आर0बी0जे0 2007 पेज 141, आर0बी0जे0 2017 पेज 638, आर0बी0जे0 2003 पेज 176 एवं 8, आर0बी0जे0 2002 पेज 261, आर0बी0जे0 2004 पेज 589, आर0बी0जे0 2002 पेज 524 , आर0बी0जे0 2004 पेज 38 एसवं आर0बी0जे0 2017 पेज 419 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की माता मृतक मन्नीदेवी पत्नि रामनारायण का खतौनी संख्या 316 के खसरा नंबर 1057 रकबा 0.22 है0 संपूर्ण हिस्सा, खसरा नंबर 1058 रकबा 0.26 है0 संपूर्ण हिस्सा, खतोनी संख्या 157 के खसरा नंबर 1554 रकबा 0.27 है0 में से 1/3 हिस्सा, खतौनी संख्या 325 के खसरा नंबर 1555 रकबा 4.14 है0 में से 1/3 हिस्सा, खसरा नंबर 1553 रकबा 0'.10 है0 में से 1/3 हिस्सा, खतौनी संख्या 246 के खसरा नंबर 1922 रकबा 0.06 है0. में से 1/4 हिस्सा, खसरा संख्या 1923 रकबा 00.07 है0 में से 1/4 हिस्सा के अनुसार है । वादी संख्या 2 लगायत 5 हरिराम, रूपनारायण, रामकुंवार, रामदयाल के खतोनी संख्या 316 के आराजी खसरा नंबर 282 रकबा 0.39 है0 संपूर्ण हिस्सा, खसरा नंबर 281 रकबा 0.02 है0 संपूर्ण हिस्सा, खसरा नंबर 1405 रकबा 0.20 है0 संपूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 325 के आराजी खसरा नंबर 4047 रकबा 0.70 है0 संपूर्ण हिस्सा, खसरा नंबर 4050 रकबा 0.72 है0 में से 1/3 हिस्सा, 4051 रकबा 0.70 है0 में से 1/3 हिस्सा, खसरा नंबर 4052 रकबा 0.71 है0 में से 1/3 हिस्सा है । वादी संख्या 6 लगायत 9 के रामेश्वर, रामस्वरूप, द्वारका व कैलाश के खतौनी संख्या 316 के आराजी नंबर 852 रकबा 0.62 है0 संपूर्ण हिस्सा, खसरा नंबर 1949 रकबा 0.24 है0 संपूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 247 के खसरा नंबर 1950 रकबा 0.03 है0 में से 1/8 हिस्सा, खतौनी संख्या 246 के खसरा नंबर 1946 रकबा 0.14 है0 में से 1/4 हिस्सा रहेगा । खतौनी संख्या 157 के खसरा नंबर 1438 रकबा 1.54 है0 में से 1/3 हिस्सा एवं खतौनी संख्या 351 के खसरा नंबर 328, 329, 331, 332, 333, 336, 403, 404, 405, 747, 748, 749, 751, 752, 757, 758, 759 कुल किता 17 कुल रकबा 8.58 है0 में से प्रतिवाद ीसंख्या 1 लगायत 3 की माता खातेदारी मन्नीदेवी पत्नि स्व0 रामनारायण का हिस्सा एक अपना वादी संख्या 6 लगायत 9 का होता है । इसी प्रकार वादी सवंख्या 10 हरिनारायण्उा के खतौनी संख्या 157 के खसरा नंबर 1438 रकबा 1.54

है0 में से संपूर्ण हिस्सा, खसरा नंबर 1646 रकबा 0.21 है0 संपूर्ण हिस्सा, खतौनी संख्या 246 के खसरा नंबीर 19226 रकबा 0.22 है0 में से 1/4 हिस्सा होता है । इसी हिस्सेनुसार वादीगण/रेस्पो0 काबिज काश्त एवं खातेदार कातश्कार है ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजियात रही है। पक्षकारान की विवादित आराजियात के अलावा अन्य आराजियात तो अपने–अपने हिस्से अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज है लेकिन उक्त वर्णित आराजियात के खातो की आराजियात पक्षकारान में कम ज्यादा नाम लगी हुई है । अधी0न्याया0 ने वाद दायर करने के पश्चात् प्रतिवादीगण को तलब किया किन्तु बावजूद तलबी प्रतिवादीगण अधी0न्याया0 में उपस्थित नही हुए इसलिये अधी0न्याया0 द्वारा विधिवत् रूप से अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांटस ने मियाद बाहर अपील पेश की है तथा विलंब के कारण भी संतोषप्रद अंकित नहीं किये है । अधी0न्याया0 ने नोटिस विधिवत् तामील होने के पश्चात् ही वाद को गुणावगुण पर निर्णित कर डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में 2016 (1) सी0जे0 (सिविल) (राज0) पेज 149, 2017 (1) सी0जे0 (सिविल) (राज0) पेज 367, 2014–15 आर0आर0टी0 पेज 441, आर0बी0जे0 2002 पेज 273, आर0जे0टी0 2002 पेज 1466, आर0आर0डी0 2007 पेज 311, ए0आई0आर0 1998 सुप्रीमकोर्ट पेज 2276, आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 1087, आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 737 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलाधीन भूमियां जो ग्राम खुडियाला, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है के संबंध में घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, अपीलाधीन भूमियां पैतृक है, तथा अपीलाधीन भूमियां अपने–अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है लेकिन अपीलाधीन भूमियां पक्षकारान में हिस्सेनुसार दर्ज न होकर कम व ज्यादा दर्ज है परन्तु मौके पर पक्षकारान हिस्सेनुसार ही काबिज है । वादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादीगण के पिता को कई बार इंद्राज दुरूस्त कराने हेतु निवेदन किया परन्तु इंद्राज दुरूस्त नहीं करवाया गया इस कारण अधी0न्याया0 के समक्ष यह वाद प्रस्तुत किया गया है । वादीगण द्वारा वादपत्र में काना का सजरा अंकित किया गया है जिसमें काना के चार पुत्र दर्शाये गये है क्रमशः जीवण, लूणा, लखमा व तेजा । जीवण के वारिसान में रामनाथ का सजरा अनुसार 1/8 वां हिस्सा तथा रामकरण के वारिसान का 1/8 वां हिस्सा एवं लूणा के वारिसान रामेश्वर, रामस्वरूप, द्वारका व कैलाश का 1/4 हिस्सा तथा लखमा के वारिसान जो वादीगण है का 1/4 हिस्सा तथा तेजा के वारिसान हरिनारायण का 1/4 हिस्सा सजरा अनुसार दर्शाया गया है परन्तु वादपत्र में घोषणा कब्जे अनुसार चाही गई है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 क्रमशः रूगनाथ, श्रीमती स्याणी व श्रीमती रामप्यारी जो कि रामनारायण के वारिसान है जिनको अधी0न्याया0 द्वारा प्रथम पेशी दिनांक 22.1.2014 को वाद दर्ज कर नोटिस जारी किये गये तथा आगामी पेशी दिनांक 29.1.2014 को तामील कुनिन्दा द्वारा बिना न्यायालय के आदेश के ही जरिये चस्पानगी से तामील करवाया गया एवं अधी0न्याया0 उक्त चस्पानगी तामील को स्वीकार कर दिनांक 24.2.2014

को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है । अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा कथन किया गया है कि बिना न्यायालय के आदेश के चस्पानगी के जरिये प्रतिवादीगण की तामील को स्वीकार कर एकतरफा कार्यवाही करना विधिसंगत नही है । इस संबंध में अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा आर0बी0जे0 2002 पेज 524 एवं आर0बी0जे0 2004 पेज 38 एवं आर0बी0जे0 2017 पेज 419 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " CODE OF CIVIL PROCEDURE 1908-ORDER 5 RULE 19 AND 20 Substituted serive by the process server without order of the court is illegal- In this case, notice was served through affixing on the house without specific order of the court. Whereas substituted service could not be made unless and until there is specific order frome the court. "

9. अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 22.1.2014 में अधी0न्याया0 द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर साधारण रीति से प्रतिवादीगण को वाद के सम्मन/नोटिस तामील करवाने हेतु आदेश दिये गये थे परन्तु तामील कुनिन्दा द्वारा प्रतिवादी रघुनाथ, श्रीमती स्याणी व श्रीमती रामप्यारी के नोटिस सम्मन पर घर से बाहर जाने की रिपोर्ट अंकित करते हुए चस्पानगी कर दी गई एवं अधी0न्याया0 द्वारा भी दिनांक 29.1.2014 को तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के आधार पर चस्पानगी की तामील को विधिसम्मत् माना एवं दिनांक 24.2.2014 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है । आदेशिका से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा तामील कुनिन्दा को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की तामीली जरिये चस्पानगी करने के आदेश नही दिये गये थे । विधिनुसार चस्पानगी के जरिये तामीली के आदेश अपवाद स्वरूप दिये जाते है परन्तु इस प्रकरण में प्रथम बार में ही जरिये चस्पानगी को तामील मानते हुए आदेश पारित किये गये है जो विधिसम्मत् नहीं है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रतिवादीगण अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष अचल सम्पति के संबंध में प्रस्तुत नहीं कर सके थे । उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर